



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 निगरानी

निगरानी 2309-I-15

श्री. अशोक मालव

द्वारा अर्पित दि. 22.07.15

प्रस्तुत

अशोक मालव
राजस्व निरीक्षक मध्य प्रदेश ग्वालियर
22-7-15

1. देवकान्त अवस्थी पुत्र स्व श्री विशाली अवस्थी
2. सत्यनारायण अवस्थी पुत्र स्व श्री विशाली अवस्थी
3. कालका प्रसाद अवस्थी पुत्र स्व श्री विशाली अवस्थी निवासीगण ग्राम सरवई तहसील गोहरीहार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश -प्रार्थीगण बनाम

1. देवीदयाल पुत्र प्रेमनारायण
2. लक्ष्मीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण
3. छोटेलाल पुत्र प्रेमनारायण निवासीगण ग्राम सरवई तहसील गोहरीहार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश -प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 21.05.2015 द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल सरवई तहसील गोरीहार जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/2014-15।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त विवरण :-

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्र. 1130/1/2 का सीमान्कन प्रतिप्रार्थीगण की ओर से कराया गया। अनावेदक की ओर से कराया गया अधीनस्त राजस्व निरीक्षक विभाग द्वारा उक्त सर्वे नम्बर 1130/1/2 का सीमान्कन बाला-बाला किया गया है।

2. यह कि अधीनस्त राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमान्कन बिना सीमान्कन नियमों का पालन किये तथा प्रार्थीगण एवं मेडिया कृषकों को सूचना दिये बिना बाला-बाला अनावेदकगण से मिलकर कर दिया है। सीमान्कन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुयी है। अनावेदक द्वारा कराये गये सीमान्कन पर से राजस्व

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2309-एक/2015

जिला छतरपुर

देवकांत विरूद्ध देवीदयाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक सरवई तहसील गोरीहार के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी गोरीहार को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी गोरीहार के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।	<p>(आर.के.जैन) सदस्य</p> <p>06/02/2019</p>